

This question paper contains 6 printed pages.

6881

Your Roll No.

LL.B. / V Term

G

Paper LB-5033 : CRIMINOLOGY

Time : 3 hours

Maximum Marks : 100

*(Write your Roll No. on the top immediately
on receipt of this question paper.)*

NOTE:— *Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.*

टिप्पणी:— इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

*Attempt any five questions.
All questions carry equal marks.*

*किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

1. Attempt briefly any *four* of the following:

- (a) Legal and social definition of crime
- (b) Importance of the study of criminology

P.T.O.

- (c) Female victimity and female criminality are intertwined.
- (d) Cyber Crime
- (e) Human Trafficking.

निम्न में से किन्हीं चार के संक्षेप में उत्तर दीजिये:

- (a) अपराध की वैधानिक और सामाजिक परिभाषा
- (b) अपराधशास्त्र के अध्ययन का महत्त्व
- (c) महिला अपराधिता और महिलाओं का आहत होते रहना अन्तर्जटित हैं
- (d) साइबर अपराध
- (e) मानव व्यापार ।

20

2. "Greatest contribution of positivist school to the development of criminal science lies in the fact that attention of criminologists was drawn for the first time towards personality of criminal rather than crime or punishment." Comment.

"अपराधशास्त्र के विकास में व्यवहारवादी स्कूल का सबसे बड़ा योगदान है कि अपराध या सज़ा से हटाकर अपराधशास्त्रियों का ध्यान अपराधी के व्यक्तित्व की ओर केन्द्रित करना।" टिप्पणी कीजिये ।

20

3. "A person becomes criminal because of an excess of definitions favourable to law violation over definitions unfavourable to violation of law." Do you agree?

Critically analyse Sutherland's differential association theory of crime causation.

“कानून उल्लंघन के पक्ष में परिभाषाएँ, कानून उल्लंघन के विपक्ष में परिभाषाओं से अधिक होने के कारण व्यक्ति अपराधी बन जाता है।” क्या आप इससे सहमत हैं? सदरलैण्ड के अपराधकारणता के विशेषक संघ सिद्धान्त का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

20

4. (a) What are the salient features of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015?

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल व संरक्षण) अधिनियम 2015 की विशेषताएँ क्या हैं?

- (b) In many ways, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 is a forward-looking and comprehensive enactment that provides for dealing with children in conflict with the law and those requiring care and protection. However, its laudable features have been overshadowed by one provision that states that children in the 16-18 age group will henceforth be tried as adults if they are accused of committing 'heinous offences'. Comment.

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल व संरक्षण) अधिनियम, 2015 कई प्रकार से दूरगामी और व्यापक अध्यादेश है जो उन बच्चों से व्यवहार उपलब्ध कराता है जो कानून से संघर्ष कर रहे हैं या जिन्हें कानून व संरक्षण की

आवश्यकता है। परन्तु उसकी सराहनीय विशेषताओं को एक प्रावधान कि 16-18 वर्ष की आयु के बच्चों पर, इसके बाद से वयस्कों की तरह मुकद्दमा चलाया जायेगा अगर उन पर कोई “जघन्य अपराध” का आरोप है, निष्प्रभ कर देता है। टिप्पणी कीजिये।

20

5. (a) “Retention of capital punishment is a necessary evil in prevalent Indian scenario.” Evaluate.

“वर्तमान भारतीय परिपेक्ष्य में मृत्युदण्ड की सजा का रहने देना एक आवश्यक बुराई है।” परीक्षण कीजिये।

- (b) “It has now been felt that we have cared too much for the criminal and his rehabilitation but very little for the victim.” Discuss in the light of judicial activism in granting compensation to the victim of crime.

“अब यह महसूस होने लगा है कि हम अपराधी और उसके पुनर्वासन पर बहुत ध्यान दे रहे हैं परन्तु पीड़ित की अपेक्षाकृत बहुत कम सोच रहे हैं।” अपराध के पीड़ित को प्रतिकर देने के लिये न्यायिक सक्रियतावाद के प्रकाश में विवेचन कीजिये।

20

6. (a) Probation balances the competing interests of an individual reformation and societal demand of prevention from criminal. Comment.

“परिवीक्षा वैयक्तिक सुधार तथा अपराध से रोक की

समाज की माँग के प्रतिस्पर्धात्मक स्वार्थ में संतुलन बनाती है।” टिप्पणी कीजिए।

- (b) X, aged 18 years, is convicted for the offence of selling counterfeit medicines over the counter. Can he seek release under the Probation of Offenders Act, 1958?

18 वर्षीय X को काउंटर पर नकली दवाई देचने के आरोप में सजा दी जाती है। अपराधी की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत, क्या वह निवारण माँग सकता है? 20

7. Critically analyse the police reforms directed by the Supreme Court in *Prakash Singh V. Union of India*.

प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित पुलिस सुधारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

20

8. “Prisons in modern India serve as institutions of reformation of offenders. However, they suffer from certain problems which need immediate attention otherwise they will be nothing else than the breeding grounds of delinquency.”

In the light of above statement, briefly discuss the reforms which are on foot in India with regard to prisons.

“आधुनिक भारत में कारागार अपराधियों के सुधार की संस्थाओं की तरह कार्य कर रहे हैं। परन्तु वे कुछ समस्याओं से

कुप्रभावित हैं, जिन पर तुरन्त ध्यान न दिया गया तो कारागार सिर्फ अपराध के प्रजनन क्षेत्र रह जायेंगे।” उपरोक्त कथन के प्रकाश में कारागारों से सम्बन्धित जो सुधार भारत में किये जा रहे हैं, उनका संक्षेप में विवेचन कीजिये।